

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 130/2022

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थी
1.पवनकुमार पुत्र श्री रतनलाल जाति अग्रवाल निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा
2.मिलाप टेक्सटाईल जरिये भागीदार किशनलाल गर्ग पुत्र स्व. श्री मिश्रमलजी जाति अग्रवाल निवासी जोधपुर तहसील जोधपुर, जिला, जोधपुर		

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :-

1. श्री प्रियतम आजाद अधिवक्ता,प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. तहसीलदार पचपदरा विप्रार्थी उपस्थित।

आदेश

दिनांक- 30.09.22

01. संक्षेप में आवेदन-पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि ग्राम बालोतरा खालसा गांव रहा है,जिसमें एक से अधिक सेन्टलमेंट प्रभाव में आये है,प्रथम सेटलमेंट संवत 2012 मुताबिक वर्ष 1955 में प्रभाव में आया। प्रथम सेटलमेंट के अनुसार द्वितिय सेटलमेंट में भूमियों के रकबे में परिवर्तन किया गया। कि ग्राम बालोतरा पटवार क्षेत्र बालोतरा प्रथम तहसील



उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

चपदरा की राजस्व रेकर्ड में भूमि पुराने खसरा संख्या 293/5 क्षेत्रफल 3 बीघा 11 विस्वा किस्म चाही, खसरा संख्या 293/3 क्षेत्रफल 7 विस्वा किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा संख्या 293/4 क्षेत्रफल 9 विस्वा किस्म आबादी एवं खसरा संख्या 312 क्षेत्रफल 8 बीघा 2 विस्वा किस्म चाही किस्तुर,समेल,नाना, भीखा, दयाराम पुत्रान् लच्छा जाति माली के कब्जासुदा खातेदारी की भूमि विद्यमान रही है। उक्त भूमि को प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी मैसर्स महालक्ष्मी कंपनी क्लोथ डाईंग प्रिन्टिंग वर्क्स बालोतरा के भागीदारान द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 14.9.1965 को प्रश्नगत भूमि खरीद कर कब्जा प्राप्त किया गया था और बाद में सहमति बंटवाड़ा करवाने पर प्रश्नगत भूमि में फ़ैक्टरी स्थापित की गई और विधिरूप से भूमि संपरिवर्तन भी करवाई गई और प्रश्नगत भूमि के चारो तरफ बाऊडी भी पूर्व से हो रखी है। उक्त भूखण्ड लूणी नदी की सीमा के भीतर नहीं है और न ही उक्त भूखण्ड के जरिये प्रार्थीगण द्वारा लूणी नदी के खसरान के भू भाग पर अतिक्रमण किया हुआ है। लेकिन द्वितिय सेन्टलमेंट के समय राजस्व अधिकारियो ने विवादित भूमि का गलत तरीके से एकतरफा सीमाकन करते हुए प्रार्थीगण की भूमि को गैर मुमकिन नदी में होना दर्शाते हुए राजस्व रेकर्ड में गलत नक्शा तरमीम कर दी गई। अतःप्रार्थीगण द्वारा प्रथम सेन्टलमेंट के अनुसार लटढा नक्शा में तरमीम दुरुस्ती करवाने हेतु आवेदन पेश किया है।

02. प्रार्थीगण का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया। विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया। विप्रार्थी की ओर से प्रार्थी के आवेदन-पत्र में वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए अपना जवाब पेश किया तथा विवादित भूमि के संबध में विप्रार्थी पक्ष की ओर से संशोधित जवाब पेश किया।

03. विवादित भूमि की मौका व रेकर्ड स्थिति की जांच कर रिपोर्ट पेश करने हेतु कमेटी अदालत द्वारा गठित कर तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट चाहे जाने पर गठित कमेटी द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट उपलब्ध करवाई गई।



उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

प्रार्थीगण की ओर से डी.बी.रिट पीटीशन संख्या 544/2020 आदेश फोटोप्रति व खतौनी

बंदोबस्त संवत् 2026 से 2029 फोटोप्रति व सुपर इम्पोज नक्शा प्रति पेश की गई।

05.उभयपक्ष की बहस सुनी गई थी। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिये कि नगर बालोतरा के सरहद मौजा बालोतरा पटवार क्षेत्र बालोतरा प्रथम तहसील पचपदरा की राजस्व रेकर्ड में भूमि पुराने खसरा संख्या 293/5 क्षेत्रफल 3 बीघा 11 विस्वा किस्म चाही, खसरा संख्या 293/3 क्षेत्रफल 7 विस्वा किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा संख्या 293/4 क्षेत्रफल 9 विस्वा किस्म आबादी एवं खसरा संख्या 312 क्षेत्रफल 8 बीघा 2 विस्वा किस्म चाही किस्तुर,समेल,नाना,भीखा,दयाराम पुत्रान् लच्छा जाति माली के कब्जासुदा खातेदारी की भूमि विद्यमान रही है। कि प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी मैसर्स महालक्ष्मी कंपनी क्लोथ डाईंग एवं प्रिन्टिंग वर्क्स बालोतरा के भागीदारान् के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 14.09.1965 को उपरोक्त वर्णित खसरान की प्रश्नगत भूमि खरीद कर भूमि का कब्जा प्राप्त किया गया था एवं उक्त भूमि को उद्योग हेतु ही खरीद की गयी थी। जिसमें फर्म के भागीदार श्री मिश्रीमल पुत्र श्री मगराजजी जाति अग्रवाल निवासी बालोतरा के द्वारा उक्त संयुक्त खरीदसुदा भूमि का खरीददारो ने आपसी सहमति से मौके पर भूमि का बंटवाडा कर लिया गया था एवं श्री मिश्रीमलजी के हिस्से में जो भूमि आई उसमें श्री मिश्रीमलजी के द्वारा मैसर्स मिलाप टैक्सटाईल मिल्स के नाम से भागीदारी में व्यवसाय प्रारम्भ किया गया था। और विधिनुसार प्रश्नगत भूमि का संपरिवर्तन करवाया गया। वक्त खरीद से प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारियों एवं उनके बाद प्रार्थीगण का निरन्तर नियमित रूप से कब्जा चला आ रहा है प्रश्नगत भूमि पर प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी द्वारा विगत 40 वर्षों से ज्यादा समय से चारों ओर पत्थरों की पक्की बाउन्डरी वॉल (हदबन्दी की चार दीवारी) निर्मित की हुई है। कि प्रश्नगत भूमि प्रथम सेटलमेंट के समय के पुराना खसरा संख्या 312 का द्वितीय सेटलमेंट पर नया खसरा संख्या 609 राजस्व रेकर्ड में राजस्व अधिकारियों द्वारा अमल दरामद किया गया।

द्वितीय सेटलमेंट के समय राजस्व अधिकारियों ने कभी भी प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी खसरा संख्या 312 पटवार टीनेन्ट को सेटलमेंट की कार्यवाही में राजस्व नक्शे लठा ट्रेस में रदोबदल हेतु



उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

के लिये कोई अवसर इत्यादि नहीं दिया और न उनसे कोई सम्पर्क ही किया। मैसर्स मिलाप टैक्सटाईल मिल्स द्वारा लूणी नदी के किसी भी भूमि अथवा भू-भाग व उसके अंगा आदि पर कभी भी किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं किया गया है, न ही मिलाप टैक्सटाईल मिल्स के मालिकाना व कब्जे की भूमि कभी भी नदी के उपयोग के रूप में कभी भी नहीं रही, बल्कि मौके पर प्रश्नगत भूमि पर व्यवसायिक प्रतिष्ठान आदि परिसर बने हुए रहे हैं। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि मैसर्स मिलाप टैक्सटाईल मिल्स के द्वारा नदी की किसी भी भूमि व उसके भाग पर कभी भी कोई अतिक्रमण नहीं किया गया, जो वर्तमान में नगर परिषद बालोतरा की आबादी भूमि होना मौके की वास्तविक वस्तुस्थिति से भी पूर्णतया स्पष्ट है, क्योंकि प्रश्नगत भूमि के आस-पास सम्पूर्ण जगह पर रहवासीय परिसर बनाये जा चुके हैं और वहां आबादी कई वर्षों से बसी जा चुकी है, कि मैसर्स मिलाप टैक्सटाईल मिल्स का नगर बालोतरा की प्राचीन मरुगंगा लूणी नदी या उसके बहाव क्षेत्र व उसके किसी भी भू-भाग पर कोई अतिक्रमण कभी भी नहीं रहा, न था व न है। यहां यह लिखना भी समीचीन है कि नगर परिषद बालोतरा के द्वारा प्रश्नगत भूमि के आड़ोस-पाड़ोस में अवस्थित भूमियां को आबादी भूमि होना ही मानते हुए नगर परिषद बालोतरा के द्वारा समय-समय पर विक्रय विलेख, भवन निर्माण अनुज्ञा इत्यादि भी जारी किये गये हैं एवं किये जा रहे हैं जिससे भी यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रश्नगत भूमि कभी भी नदी की भूमि नहीं रही। वर्तमान में आबादी क्षेत्र के खसरा संख्या 609 की तरमीम द्वितीय सेटलमेंट के दौरान जल्दबाजी में गड़बड़ी कर गलत व अनुचित रूप से कर दी गयी, जबकि सेटलमेंट विभाग को किसी भी खसरान् की भूमि की किस्म अथवा आकृति या खातेदारी अधिकारों में कमी या अधिकता, भूमि की किस्म में परिवर्तन करने का क्षेत्राधिकार तक प्राप्त नहीं है। यद्यपि मौके की वास्तविक वस्तुस्थिति अनुसार व मूल पुराने खसरा संख्या 312 को आधार बनाकर भूमि के वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड नक्शा की दुरुस्ती की जाती है, तो प्रार्थीगण के स्वामित्व की भूमि लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र से करीब 100-150

से अधिक दूरी पर है। पुराने खसरा संख्या 312 की भूमि का मुंतकिल स्थायी बिन्दु से नापकर राजस्व नक्शा में द्वितीय सेटलमेंट के दौरान हुई गड़बड़ी से की गई त्रुटिवशं प्रविष्टि



उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

के लिये कोई अवसर इत्यादि नहीं दिया और न उनसे कोई सम्पर्क ही किया। मैसर्स मिलाप टैक्सटाईल मिल्स द्वारा लूणी नदी के किसी भी भूमि अथवा भू-भाग व उसके अंगा आदि पर कभी भी किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं किया गया है, न ही मिलाप टैक्सटाईल मिल्स के मालिकाना व कब्जे की भूमि कभी भी नदी के उपयोग के रूप में कभी भी नहीं रही, बल्कि मौके पर प्रश्नगत भूमि पर व्यवसायिक प्रतिष्ठान आदि परिसर बने हुए रहे हैं। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि मैसर्स मिलाप टैक्सटाईल मिल्स के द्वारा नदी की किसी भी भूमि व उसके भाग पर कभी भी कोई अतिक्रमण नहीं किया गया, जो वर्तमान में नगर परिषद बालोतरा की आबादी भूमि होना मौके की वास्तविक वस्तुस्थिति से भी पूर्णतया स्पष्ट है, क्योंकि प्रश्नगत भूमि के आस-पास सम्पूर्ण जगह पर रहवासीय परिसर बनाये जा चुके हैं और वहां आबादी कई वर्षों से बसी जा चुकी है, कि मैसर्स मिलाप टैक्सटाईल मिल्स का नगर बालोतरा की प्राचीन मरुगंगा लूणी नदी या उसके बहाव क्षेत्र व उसके किसी भी भू-भाग पर कोई अतिक्रमण कभी भी नहीं रहा, न था व न है। यहां यह लिखना भी समीचीन है कि नगर परिषद बालोतरा के द्वारा प्रश्नगत भूमि के आड़ोस-पाड़ोस में अवस्थित भूमियां को आबादी भूमि होना ही मानते हुए नगर परिषद बालोतरा के द्वारा समय-समय पर विक्रय विलेख, भवन निर्माण अनुज्ञा इत्यादि भी जारी किये गये हैं एवं किये जा रहे हैं जिससे भी यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रश्नगत भूमि कभी भी नदी की भूमि नहीं रही। वर्तमान में आबादी क्षेत्र के खसरा संख्या 609 की तरमीम द्वितीय सेटलमेंट के दौरान जल्दबाजी में गड़बड़ी कर गलत व अनुचित रूप से कर दी गयी, जबकि सेटलमेंट विभाग को किसी भी खसरान् की भूमि की किस्म अथवा आकृति या खातेदारी अधिकारों में कमी या अधिकता, भूमि की किस्म में परिवर्तन करने का क्षेत्राधिकार तक प्राप्त नहीं है। यद्यपि मौके की वास्तविक वस्तुस्थिति अनुसार व मूल पुराने खसरा संख्या 312 को आधार बनाकर भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड नक्शा की दुरुस्ती की जाती है, तो प्रार्थीगण के स्वामित्व की भूमि लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र से करीब 100-150

से अधिक दूरी पर है। पुराने खसरा संख्या 312 की भूमि का मुंतकिल स्थायी बिन्दु से नामांकन राजस्व नक्शा में द्वितीय सेटलमेंट के दौरान हुई गड़बड़ी से की गई त्रुटिवशं प्रविष्टि



उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

त करते हुए सुधार कर रेवेन्यु रिकॉर्ड दुरुस्त किया जावें। अपनी बहस को जारी रखते हुए कथन किया था, कि ऐसे में उक्त प्रश्नगत भूमि प्रार्थीगण के ही खातेदारी व कब्जासुदा की भूमि रही हैं तथा वर्तमान में आबादी क्षेत्र के नये खसरा 609 की तरमीम द्वितीय सेटलमेंट के दौरान जल्दबाजी में गड़बड़ी कर गलत व अनुचित रूप से कर दी गयी, जबकि सेटलमेंट विभाग को द्वितीय सेटलमेंट के दौरान किसी भी खसरान् की भूमि की किस्म अथवा आकृति या खातेदारी अधिकारों में कमी या अधिकता, भूमि की किस्म में परिवर्तन करने का क्षेत्राधिकार तक प्राप्त नहीं था, जिससे अनावश्यक ही मामले में अकारण जटिलताएं उत्पन्न हो गयी। इसलिये अतिशीघ्र ही प्रश्नगत भूमि के संबंध में प्रथम भू-प्रबंध (प्रथम सेटलमेंट) के अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरुस्ती किया जाना न्यायहित में नितान्त आवश्यक है। ऐसा ही अधिमत व न्यायिक दृष्टांतों माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय राजस्थान राजस्व मण्डल अजमेर की समय-समय पर निम्न प्रतिपादित पारित न्यायिक सिद्धान्तों व न्याय-निर्णयनों में रही है--2022 DNJ [1] [REV.] 121 कजोड़ बनाम श्रवण, 2020 RBJ 126-2020 RRT [1] 37-2018 RRT[1] 194-2018 RRT[2]1158-2015 RRT[2]1214-2013 RRT[1] 391-2013 RRT [2] 1027-2010 RBJ 285-2009-10[ SUPP.] RRT 337-2008 RRT [1] 151-2007 RRT[1] 27-2001 RRT[1] 244 आईदान बनाम स्टेट-2001 RBJ 170-1998 RBJ 274-इस प्रकार उपरोक्त सभी न्यायिक निर्णयों में यह मूल रूप से सिद्धान्त अवधारित कर प्रतिपादित किया गया कि--"Settlement Department has no competence to change the kind of land, rights of tenure-holders & entries in revenue record- He has no power to confer khatedari rights on any person- powers are limited to normal settlement operations." अन्त में निवेदन है, कि प्रार्थीगण के हक हकूक कब्जा की प्रश्नगत भूमि बालोतरा के सरहद मौजा बालोतरा पटवार क्षेत्र बालोतरा प्रथम तहसील पचपदरा की राजस्व रिकॉर्ड में अवस्थित आबादी क्षेत्र के नया खसरा नम्बर 609 का प्रथम सेटलमेंट के पुराने खसरान् के अनुसार ही मौके की

वस्तुस्थिति के मुताबिक ही राजस्व अभिलेख में पूर्व में द्वितीय सेटलमेंट के दौरान कोई लिपिकीय भूल व गड़बड़ी स्वरूप अशुद्ध प्रविष्टि को सुधार कर पुराने खातेदारी के



उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

संख्या के अनुसार राजस्व रेकॉर्ड नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीम दुरुस्ती करने का आदेश  
फरमया जावें।

6. इसके विपरीत विप्रार्थी की बहस थी, कि प्रार्थीगण की ओर से आवेदन-पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है, जो निरस्त योग्य है। क्योंकि विवादित भूमि का प्रथम सेटलमेन्ट संवत् 2012 अर्थात् सन् 1955 में हुआ था, जहां आबादी मौके पर बसी हुई थी, जिसका रकबा राजस्व रेकॉर्ड में आबादी के रूप में दर्ज हुआ। द्वितीय सेटलमेन्ट वर्ष 1967 में किया गया, तो नदी के बहाव क्षेत्र एवं पानी के भराव क्षेत्र में आने वाली भूमि को गै.मु.नदी दर्ज किया गया, जो वक्त सेटलमेन्ट के अधिकारियों के द्वारा जल पातायतन की भूमि सही दर्ज की गई है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे कथन किया था, कि सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा नदी पातायतन पानी बहाव क्षेत्र व डूब क्षेत्र का बारीकी से सर्वे करवाते हुए आबादी बसावट के अनुसार आबादी दर्ज की गई है तथा पानी भराव क्षेत्र की भूमि को गैर मुमकिन नदी स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी के भूखण्ड परिसर गैर मुमकिन नदी में किया हुआ है, जो कि गैर कानूनी है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि की रेकॉर्ड नक्शा दुरुस्ती करवाने के हकदार नहीं है। क्योंकि विवादित भूखण्ड गैर मुमकिन नदी में अवैध रूप से बनाया हुआ है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर कथन किया था, कि राजस्व रेकॉर्ड दुरुस्ती उसी में हो सकती है, जो दौराने कार्य करते समय कोई त्रुटि अथवा भूलवंश गलती हुई हो। लेकिन हस्तगत आवेदन-पत्र में वर्णित भूमि का वक्त सेटलमेन्ट के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर विस्तृत सर्वे करते हुए हितबद्ध पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर मौका व रेकॉर्ड स्थिति अनुसार रेकॉर्ड में संधारण किया था। इस प्रकार प्रार्थीगण किसी प्रकार की राहत प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं, क्योंकि प्रार्थीगण द्वारा गै.मु.नदी की भूमि पर अतिक्रमण करने के उपरांत इसकी आड़ में राजस्व अभिलेख व नक्शा लट्ठा में तरमीम दुरुस्त करवाने की फिराक में है, जिसमें प्रार्थीगण सफलता प्राप्त करने के हकदार नहीं है। अपनी बहस को

जारी रखते हुए कथन किया था, पूर्व में उक्त प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचारणीय था, जिसमें प्रार्थीगण द्वारा बंदोबस्त प्रक्रिया को आक्षेपित किया गया, जिस पर



उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

न्यायालय में भूप्रबन्ध की स्थिति पर सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु श्रीमान जिला क्लर्क बाड़मेर के आदेश दिनांक 27.11.2020 द्वारा राजस्व विभाग एवं भू प्रबंध विभाग की संयुक्त टीम गठित कर गत भू प्रबंध एवं वर्तमान भू प्रबंध के नक्शों का सुपरइम्पोजिशन मानचित्र एक पैमाने पर लेकर करवाया गया था,जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि गत सेटलमेंट के खसरा संख्या 311 व 312 का आंशिक का भाग होना पाया गया था,जो तत्समय प्रचलित भू प्रबंध के रेकॉर्ड के अनुसार गैर मुमकिन नदी नहीं थी। लेकिन प्रार्थी द्वारा पूर्व प्रचलित भू प्रबंध के दौरान वादग्रस्त भूमि पर कब्जा/विधिक स्वामित्व होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रार्थी का आवेदन खारिज फरमाया जावें।

7.हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकॉर्ड, दस्तावेजात,विप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं न्यायिक दृष्टांतों का गम्भीरता-पूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थीगण की ओर से आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 आर.एल.आर.एक्ट के तहत पेश कर आवेदन-पत्र व अपनी बहस में मुख्य इस्तदूआ चाही है,कि गत सेटलमेंट में प्रार्थीगण की प्रश्नगत भूमि खातेदारी में अवस्थित थी है। लेकिन द्वितिय सेटलमेंट के समय प्रार्थीगण की विवादित भूमि खातेदारी भूमि होने के उपरांत भी तत्कालीन राजस्व अधिकारियों द्वारा अपनी मनमर्जी तरीके से गलत सर्वे करते हुए गलत तरीके से प्रार्थीगण की स्वामित्व भूमि को गैर मुमकिन नदी में रेकॉर्ड व तरमीम अंकन कर दी गई,जो आदिनांक तक गलत तरीके से किया गया रेकॉर्ड इन्द्राज चला आ रहा है,जिसे निरस्त करते हुए प्रार्थीगण की विवादित भूमि को स्वामित्व खसरा संख्या 609 की सीमाओं के भीतर होना मानकर राजस्व अभिलेख व लटढा नक्शों में तरमीम दुरुस्ती करवाना चाह रहें हैं। यह तो तय है,कि गत सेटलमेंट के अनुसार विवादित भूमि खसरा संख्या 312 खातेदारी में अवस्थित थी और द्वितिय सेटलमेंट के दौरान प्रार्थीगण की विवादित भूमि खातेदारी होने के उपरांत भी तत्कालीन सेटलमेंट अधिकारियों


द्वारा गैर मुमकिन नदी में अंकन कर दी गई,जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि द्वितिय सेटलमेंट अधिकारियों को गत सेटलमेंट के अनुसार ही रेकॉर्ड रिपीट करना चाहिए था। जो



उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बाड़मेर

प्रतिपादित किया है, कि भू प्रबंध विभाग को राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। केवल पुराने रेकार्ड को दोहराने का अधिकार प्राप्त है। 2020(1) आर.आर.टी.पृष्ठ 37 में प्रतिपादित है, कि भू प्रबंध विभाग इन्द्राज परिवर्तन करने हेतु सक्षम नहीं है। 2018(1) आर.आर.टी.पृष्ठ 37 व 2015(2)आर.आर.टी.पृष्ठ 1214 में प्रतिपादित है, कि भू प्रबंध विभाग द्वारा कारित त्रुटि को विचारण न्यायालय ने सही किया—भू प्रबंध विभाग प्रविष्टियों को दोहराने हेतु बाध्य है व 2008(1) आर.आर.टी.पृष्ठ 151 में भी प्रतिपादित किया है कि बन्दोबस्त विभाग को विद्यमान अंकन को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है। माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन से स्पष्ट साबित होता है, कि गत सेटलमेंट के रेकार्ड के अनुसार ही द्वितिय सेटलमेंट के अधिकारियों को रेकार्ड का इन्द्राज किया जाना चाहिए था। लेकिन हस्तगत प्रकरण में विवादित भूमि गत सेटलमेंट के अनुसार भूमि में इन्द्राज होने के उपरांत द्वितिय भू प्रबंध के समय बिना किसी सक्षम आदेश/निर्णय/स्वीकृत के नदी में रेकार्ड इन्द्राज कर दिया गया। जिसका तत्समय द्वितिय भू प्रबंध विभाग को कोई कानूनी अधिकारी नहीं था। ऐसा इन्द्राज करने से पूर्व सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी का आदेश/निर्णय प्राप्त करना आवश्यक था। जबकि हस्तगत प्रकरण में ऐसा कोई तथ्या अथवा दस्तावेज विप्रार्थी द्वारा पेश नहीं किया। जिससे यह जाहिर हो कि आबादी भूमि के स्थान पर गैर मुमकिन नदी का भाग इन्द्राज करने का आदेश पारित हुआ हों। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के अधिमतों अनुसार किसी भी खातेदारों के हकों/अधिकारों में न तो भू प्रबंध विभाग द्वारा कमी जा सकती है और न ही जोड़ा ही जाता है। भू प्रबंध विभाग की प्रक्रिया एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसके तहत मात्र पूर्व प्रविष्टि को नये नाप को दोहराना भर होता है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण की विवादित भूमि में हुए रेकार्ड में फेरबदल गत सेटलमेंट के अनुसार ही दुरुस्ती की जानी न्यायोचित प्रतीत होती है। क्योंकि भू प्रबंध विभाग द्वारा बिना अधिकार का कृत्य है। साथ ही विप्रार्थी की ओर से अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है, कि



  
सुबखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

उक्त प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन था, जिसमें प्रार्थीगण द्वारा बंदोबस्त प्रक्रिया को आक्षेपित किया गया, जिस पर माननीय न्यायालय में भूप्रबन्ध की स्थिति पर सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर के आदेश क्रमांक/प/14/(28)(1)भू.अ./रा.प्र./2018/5153 दिनांक 27.11.2020 द्वारा राजस्व विभाग एवं भू प्रबंध विभाग की संयुक्त टीम गठित कर गत भू प्रबंध एवं वर्तमान भू प्रबंध के नक्शों का सुपरइम्पोजिशन मानचित्र एक पैमाने पर लेकर करवाया गया था, जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि गत सेटलमेंट के खसरा संख्या 311 व 312 का आंशिक भाग होना पाया गया था, जो तत्समय प्रचलित भू प्रबंध के रेकॉर्ड के अनुसार गैर मुमकिन नदी नहीं थी। जिससे स्पष्ट साबित होता है कि विवादित भूमि नदी में न होकर आबादी भूमि की सीमा के अन्दर है और द्वितीय सेन्टलमेंट द्वारा उक्त भूमि को गैर मुमकिन नदी के खसरे में शामिल करने में लिपिकीय त्रुटि है, जो कृत्य बिना क्षेत्राधिकार का है। जहां तक विप्रार्थी द्वारा बिन्दु उठाया कि पूर्व प्रचलित भू प्रबंध के दौरान वादग्रस्त भूमि पर कब्जा/विधिक स्वामित्व होना का दस्तावेज प्रार्थी द्वारा पेश नहीं किया है, उक्त तर्क मानने योग्य नहीं है, क्योंकि प्रार्थीगण ने विवादित भूमि पर कब्जा/स्वामित्व की पट्टा डीड प्रति पेश की है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

8. लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन-पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पंचपदरा को आदेशित किया जाता है कि द्वितीय भू प्रबंध के वक्त की गई उक्त त्रुटि को माफिक प्रथम सेन्टलमेंट के अनुसार रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

(नरेश सोनी)

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर  
(S.D.O.) बालोतरा



आदेश आज दिनांक 30.09.2022 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया जाएगा।

उपखण्ड अधिकारी बालोतरा  
उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा